कार्यालय :— प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांकः— 888 दिनांकः— 01.8.19

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :— **लातेहार जिला अन्तर्गत मौजा बारिखाप में 200 शैयया का बालक/बालिका विद्यालय—सह—छात्रावास भवन निर्माण हेतु 1.99 हे0 जंगल—झाड़ी वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव FP/JH/Sch/36884/2018 के संबध में।**

प्रसंग :— **वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनिनगर का पत्रांक 1640 दिनांक 02.07.2019**

महाशय,

प्रांसगिक पत्र की (छायाप्रति संलग्न) द्वारा विषयगत परियोजना **FP/JH/Sch/36884/2018 मौजा बारिखाप में 200 शैयया का बालक/बालिका विद्यालय—सह—छात्रावास भवन** निर्माण हेतु कुल **1.99** हे0 जंलग—झाड़ी वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव Online तथा Hard Copy इस कार्यालय में प्राप्त हुई हैं। वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, **मेदिनिनगर** के प्रतिवेदनानुसार प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् प्रतिवेदित है :—

1. लातेहार वन प्रमंडल अन्तर्गत अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि की वैधानिक स्थिति निम्नवत् है :—

क्र0 सं0	वन प्रमंडल का नाम	अधिसूचित वनभूमि का रकबा हे0 में	जंगल—झाड़ी वनभूमि का रकबा हे0 में	कुल रकबा हे0 में	वनस्पति घनत्व
1	लातेहार	शून्य	1.99	1.99	0.3

2. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि की विस्तृत विवरणी प्लॉटवार/मौजावार/रकबा निम्नवत् है :— **अनु0 A**

क्र0 सं0	मौजा का नाम	थाना न0	जिला	खाता न0	प्लॉट न0	रकबा (एकड़ में)	रकबा (हे0 में)	जमीन का किस्म
1	बारिखाप	78	लातेहार	220	2381	4.92	1.99	जंगल—झाड़ी

3. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन दर्ज है। **अनु0—1**
4. प्रस्ताव के साथ पार्ट—II में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमंडल का मंतव्य दर्ज है। एवं पार्ट—III में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर का मंतव्य दर्ज है। साथ ही संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, लातेहार का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन भी संलग्न है। **अनु0—B**
5. पार्ट—IV में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य संलग्न है।
6. 1:50,000 स्केल के टोपोशीट पर लोकेशन मैप संलग्न है। **अनु0—3**
7. प्रस्ताव के साथ मौजा मैप पर **विद्यालय—सह—छात्रावास** का लोकेशन दिखाते हुए संलग्न है। **अनु0—19**
8. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का KML File, GPS Map CD के साथ संलग्न है। **अनु0—23**

9. वन प्रमंडल पदाधिकारी, लातेहार के पार्ट–II में दर्ज प्रतिवेदन के अनुसार प्रस्तावित वनभूमि में पड़ने वाले वृक्षों की कुल संख्या **44** है। वृक्षों की प्रजातिवार एवं Girth-wise गणना सूची संलग्न है **अनु0–17**
10. इस परियोजना में पूर्ण जंगल–झाड़ भूमि उपयोग हेतु उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक 106 दिनांक 19.01.2018 द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न है। **अनु0–9**
11. प्रस्ताव के साथ वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत् उपायुक्त, लातेहार का पत्रांक 01 दिनांक 19.01.2018 द्वारा प्रमाण–पत्र प्राप्त है। साथ ही F.R.A से संबंधित ग्रामसभा/आमसभा की बैठक की कार्यवाही की प्रति संलग्न है। **अनु0–8 एवं 22**
12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV की राशि जमा करने हेतु वचनबद्धता दी गई है। **अनु0–15**
13. क्षतिपूरक वनरोपण के संबंध में सूचित करना है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के ***पत्रांक 11-9/98 FC दिनांक 16.06.2011*** के द्वारा निर्गत दिशा निर्देश में यह स्पष्ट किया गया है। कि ***"compensatory afforestation in lieu of the forest land diverted in accordance with the said general approval shall not be insisted upon"***
14. प्रस्तावित वनभूमि किसी नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी व्याघ्र परियोजना, गज आरक्ष एवं बायोस्फेयर रिजर्व का हिस्सा नहीं है।
15. प्रस्ताव के साथ CWLW, झारखण्ड का मंतव्य प्राप्ति हेतु उनसे अनुरोध किया जा रहा है। प्राप्त होने पर अलग से भेजा जायेगा।
16. वन प्रमंडल पदाधिकारी लातेहार ने अपने पार्ट–II के कंडिका 11 के उप कंडिका (I) में अंकित किया है कि इस परियोजना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किसी भी प्रकार का violation नहीं किया गया है।
17. प्रस्तावित वन भूमि लातेहार जिला में अवस्थित है। भारत सरकार के पत्रांक F.No. 11-246/2014-FC दिनांक 04.07.2014 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के तहत् यह जिला L.W.E. के रूप में संसूचित है।
18. प्रस्तावित वनभूमि के अपयोजन हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा अनुशंसा की गई है, जिससे अधोहस्ताक्षरी भी सहमत हैं।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से संचिका पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। तदोपरान्त Time Line इस पत्र के साथ संलग्न है।

प्रस्ताव की दो मूल प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि इस परियोजना हेतु कुल **1.99** हे0 (जंगल–झाड़ी) वनभूमि के अपयोजन हेतु स्टेज–I प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0ः–यथोक्त।
मूल प्रस्ताव 2 प्रतियों में।

विश्वासभाजन

1.8.2019

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

1.8.19

PART –IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

CONSTRUCTION OF 200 BEDED GIRLS/BOYS SCHOOL CUM HOSTEL 1.99 ha.

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks.

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of 1.99 ha. Forest land.

Date :- 01.08.2019

Place :- Ranchi.

Signature

1.8-2019

(SHASHI NANDKEOLYAR)
Nodal Officer
Name & Designation.

Principal Chief Conservator of Forests
Cum-Executive Director
Waste Land Development Board

(Official Seal)